दिनांक- 09.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 694/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 09.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 09.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 693/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर व कबरई के विवेचकों का किया गया अर्दली रूम, लंबित विवेचनाओं एवं विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिये गये निर्देश।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर एवं थाना कबरई के समस्त उपनिरीक्षकों/विवेचकों का अर्दली रूम आयोजित कर विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई।
- अर्दली रूम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित समस्त विवेचनाधिकारियों से उनके द्वारा की जा रही विवेचनाओं एवं लंबित प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान लंबित विवेचनाओं, NCR, वांछित अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी, पंचायतनामा जांच, IGRS प्रकरणों, शिकायत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, NBW की तामील तथा निरोधात्मक कार्यवाही की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

- समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई, उनमें आवश्यक कार्यवाही करते हुए विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विवेचना के प्रत्येक चरण में साक्ष्यों का संकलन, परीक्षण एवं अभिलेखीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकरण में अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए गए।
- अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित एवं न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी/तामील सुनिश्चित करने तथा गुमशुदा एवं अपहृता की बरामदगी हेतु गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
- इसी प्रकार IGRS प्रकरणों एवं प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा शिकायतकर्ता की समस्या का विधिसम्मत समाधान किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए अपराध की पुनरावृत्ति रोकने एवं क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
- अर्दली रूम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त विवेचनाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित विवेचनाओं एवं प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। विवेचना में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, न्यायालयीय आदेशों की तामील एवं जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

दिनांक- 09.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 695/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद महोबा में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा तथा अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष थाना चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0का0 राजाराम पाल द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त हरदयाल पुत्र रघुवीर उर्फ रघुवर दयाल, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा को आज दिनांक 09.09.2026 को ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त परिवाद संख्या 44/2017 धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

हरदयाल पुत्र रघुवीर उर्फ रघुवर दयाल, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा, थाना चरखारी जनपद महोबा
2. हे0का0 राजाराम पाल, थाना चरखारी जनपद महोबा

दिनांक- 09.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 696/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना से सम्बन्धित 01 अन्य वाछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के सफेद धातु के आभूषण बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण तथा उनमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना श्रीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को दिनांक 08.09.2026 को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित एक अन्य वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 09.09.2026 को थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह मय हमराह हे0कां0 शिवदयाल द्वारा वांछित अभियुक्त अरुण अहिरवार पुत्र श्रीपत अहिरवार उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम ननौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक छोटे पारदर्शी डिब्बे में 01 अदद सफेद धातु की जंजीर एवं 02 अदद सफेद धातु की पायल बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अरुण अहिरवार पुत्र श्रीपत अहिरवार उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद सफेद धातु की जंजीर

02 अदद सफेद धातु की पायल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह

2.हे0कां0 शिवदयाल